न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11/2022/प्रा.पत्र/2022	16.03.2022	26.05.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ....आवेदक

बनाम

श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री रामगोपाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मित्तल एजेन्सीज पुलिस थाने के पास टोंक रोड उनियारा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 10 तेलियों का मोहल्ला उनियारा जिला टोंक राज.

......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार अनुपस्थित।
2–अप्रार्थी स्वयं उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 26.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.11.2021 को समय बाद दोपहर 02:01 पी.एम. पर मैसर्स मित्तल एजेन्सीज पुलिस थाने के पास टोंक रोड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री रामगोपाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री निहाल चन्द जैन ने स्वयं को मैसर्स मित्तल एजेन्सीज पुलिस थाने के पास टोंक रोड उनियारा जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** दुकान की रैक में 120–120 ग्राम के 24 नग प्लास्टिक के कट्टे में रखे हुए थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री निहाल चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री निहाल चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** वास्ते नमूना जांच क्रय किए जा रहे है, के 120–120 ग्राम के 20 नग मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** 120–120 ग्राम के 20 नग कुल मात्रा 2400 ग्राम के 600–600

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ग्राम के नियमानुसार चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2980 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2980 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री रामगोपाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मित्तल एजेन्सीज पुलिस थाने के पास टोंक रोड उनियारा जिला टोंक राज. ने मौक पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3300 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1792/एक्ट/2021/1669 दिनांक 02.12.2021 के अनुसार विक्रेता श्री निहाल चन्द जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार अनुपस्थित हैं। पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी जिस **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)**नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री निहाल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

चन्द जैन पर शास्ति रूपये 40,000/— (अक्षरे चालीस हजार रू.) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0